बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत आशुलिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन संख्या–20010116, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑन–लाईन आवेदन आयोग के वेवसाईट **http://bssc.bih.nic.in** पर आमंत्रित किये जाते है । ऑनलाईन आवदेन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेवसाईट पर उपलब्ध है ।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिनांक–04.10.2016 से 02.11.2016 तक

कुल रिक्तियाँः– 326 (तीन सौ छब्बीस)

अनुसूचित जाति	–	60
अनुसूचित जनजाति	–	04
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	70
पिछड़ा वर्ग	–	43
पिछड़ा वर्ग की महिला	–	09
अनारक्षित	–	140

नोटः– 1. विकलांगता अधिनियम–1995 के आलोक में क्षैतिज आरक्षण के तहत 03(तीन) पद दृष्टिबाधित विकलांग उम्मीदवारों को, 03(तीन) पद मूक बधिर विकलांग उम्मीदवारों को तथा 04(चार) पद चलन विकलांग उम्मीदवारों को अनुमान्य होगा । चयनित विकलांग उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होगा उसकी गिनती संगत आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी ।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाति/नतिनि को 06(छः) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा । चयनित विकलांग उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होगा उसकी गिनती संगत आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी ।

शैक्षणिक योग्यता :– इंटरमीडिएट ।

तकनीकी योग्यताः– 1. आशुलेखन एवं कम्प्यूटर टंकण ।
2. कम्प्यूटर के बेसिक/वर्डस प्रोसेसिंग ज्ञान ।

वेतनमान– 5200–20200 रूपये एवं, ग्रेड–पे 2400/–

उम्र सीमा :– (दिनांक–01.08.2015 के आधार पर निर्धारित की जायेगी ।)

(1) आयु न्यूनतमः– 18 (अठारह) वर्ष ।

(2) अधिकतम आयु सीमाः–

(i) अनारक्षित वर्ग (पुरूष)	–	37 वर्ष ।
(ii) अनारक्षित वर्ग (महिला)	–	40 वर्ष ।
(iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)	–	40 वर्ष ।
(iv) अनु0जाति/अनु0जनजाति (पुरूष/महिला)	–	42 वर्ष ।

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है । साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–62, दिनांक–05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षो की छूट अनुमान्य है ।

(3) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2447, दिनांक–06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो ।

चयन की प्रक्रियाः–

सुयोग्य उम्मीवारों का चयन आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा (इन्टर स्तरीय) एवं व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के पाँच गुणा सफल अभ्यर्थियों (कोटिवार) की सूची तैयार की जाएगी जिनहें व्यावहारिक जाँच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा । व्यावहारिक जाँच परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर कोटिवार अंतिम मेघा सूची तैयार की जाएगी ।

1. लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें इन्टर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएगें तथा जिसके निम्नांकित विषय होंगेः–

(क) सामान्य अध्ययन–प्रश्नों की संख्या–50 होगी ।

(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित–प्रश्नों की संख्या–50 होगी ।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/Mental Ability)– प्रश्नों की संख्या–50 होगी ।

प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे । प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी । परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी । परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा । अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे ।

लिखित परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से हैः–

खंड (क)–: सामान्य अध्ययनः– इसमें प्रश्नों का उद्‌देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा । वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है । इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते है ।

(i) सम–सामयिक विषयः– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं ।

(ii) भारत और उसके पड़ोसी देशः– पडोसी देशो का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान ।

खंडः–(ख) सामान्य विज्ञान एवं गणितः– इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं :–

(i) सामान्य विज्ञानः–भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल एवं कम्प्यूटर विज्ञान से संबंधित मौलिक प्रश्न ।

(ii) गणितः–संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि ।

खंडः–(ग) मानसिक क्षमता जाँचः–इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैः– सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या ।

व्यवहारिक जाँच परीक्षाः–

1. हिन्दी श्रुतिलेख की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 04 मिनट तक लेखापन द्वारा जाँच की जायेगी । लेखापन प्रारंभ करने के पूर्व 01 मिनट का लेखापन जाँच (डिक्टेशन लेख) किया जायेगा । श्रुतिलेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकन आरंभ करने से पूर्व 02 मिनट का समय शुद्धि हेतु दिया जायेगा । श्रुतिलेख के टंकण हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत करनी होगी । श्रुतिलेख के टंकण में शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत करनी होगी । श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा ।
2. श्रुतिलेख के अतिरिक्त उम्मीदवारों को हिन्दी में 30(तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा । इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5(डेढ़) प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा ।

क्वालीफाइंग मार्क्सः–

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.06.2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित हैः–

सामान्य वर्ग	–	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	–	36.5 प्रतिशत
अ0पि0वर्ग	–	34 प्रतिशत
अनु0जाति / जनजाति	–	32 प्रतिशत
महिला वर्ग	–	32 प्रतिशत

परीक्षा शुल्कः–

(क) सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी–750 रूपये ।

(ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)–200 रूपये ।

(ग) बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु –750 रूपये ।

(घ) सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए (अनु0 जाति / जनजाति के समान)–200 रूपये ।

परीक्षा शुल्क जमा करते समय परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगा । यथा ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card / Netbanking) माध्यम से रूपये 750 की परीक्षा शुल्क पर रूपये 25.88 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 775.88 रूपये देय होगा । उसी प्रकार ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card / Netbanking) माध्यम से रूपये 200 की परीक्षा शुल्क पर रूपये 06.90 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 206.90 रूपये देय होगा । एस0 बी0 आई बैंक चालान के माध्यम से रूपये 750 की परीक्षा शुल्क पर रूपये 50 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 800.00 रूपये देय होगा । बैंक चालान के माध्यम से रूपये 200 की परीक्षा शुल्क पर रूपये 50 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 250.00 रूपये देय होगा ।

अभ्यर्थी ऑनलाईन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक–04.10.2016 से 09.11.2016 तक अथवा SBI के चालान के माध्यम से दिनांक– 06.10.2016 से 04.11.2016 तक की निर्धारित अवधि में समर्पित करेंगे । अन्य किसी माध्यम से भेजा गया शुल्क मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क अदा करने से संबंधित प्रमाण पत्र(पावती रसीद) अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं आयोग द्वारा माँगे जाने पर समर्पित करेगे ।

परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किये जायेंगे, साथ ही साथ अहस्तांतरणीय होगें ।

आरक्षणः–

(i) ऑनलाईन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70, दिनांक–11.06.1996 एवं **बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को हीं देय है ।**

(ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र जिसमें क्रीमिलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा । ऑनलाईन आवेदन के समय यह प्रमाण–पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु **काउन्सिलिंग के समय पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा** । अभ्यर्थी आवेदन–पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हों उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे । ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के आरक्षण का लाभ लेना है, उन्हें काउंसिलिंग के समय विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के एक वर्ष के अन्दर का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(iii) **ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा** । गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा ।

(iv) परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा । यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वह मान्य नहीं होगा ।

(v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्त्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या–62, दिनांक–05.01.2007 के प्रावधान के आलोक में विकलागों को 3 प्रतिशत (1ः दृष्टि निःशक्तता, 1ः मूकबधिर निःशक्तता तथा 1ः चलन निःशक्तता) आरक्षण देय है । यदि किसी रिक्ति के किसी उपर्युक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जायेगा तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगले वर्ष में अग्रणित की जायेगी ।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–10/2015 सा0प्र0–13185 पटना–15, दिनांक–03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाना है, अर्थात चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी ।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–2342, दिनांक–15.02.2016 के अनुसार बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गो के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा । 50 प्रतिशत मेरिट तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के आधार पर नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरांत महिलाओं की संख्या स्वतः 35 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में इसे यथावत् रखा जायेगा

अन्यः– (i) किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा । वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा बुलावा पत्र (Call letter) निर्गत किया जायेगा । बुलावा–पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी । किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/अपात्रता के विन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा ।

(iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् Submit करने से पूर्वउसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लें सभी प्रविष्टियाँ ठीक से भरी गई है । ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा ।

(iv) अभ्यर्थी आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व Preview देखकर संतुष्ट हो लेंगे, एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो, तो Edit option में आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन–पत्र को Submit करेंगे ।

अंतिम तिथिः–ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक– 04.10.2016 से 09.11.2016 की रात्रि 12:00 बजे (Server Time) तक निर्धारित है । अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सचिव 27/9/16

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।